राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
(जी–3, राजमहल पैलेस रेजीडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गौदाम, जयपुर–302005)

क्रमांकः–पी.ए./डीएलबी/16/4243-4430 दिनांकः 01/04/16

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाएं
राजस्थान

विषयः– मोबाईल टॉवरों से वसूल किये जाने वाले शुल्क बाबत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि मोबाईल टॉवरों से पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क वसूल करने के लिये विभाग द्वारा समय समय पर आदेश जारी किये है। कुछ मोबाईल कम्पनियों ने विभाग में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि पर्याप्त मार्ग दर्शन के अभाव में विभिन्न स्थानीय निकाय भिन्न भिन्न राशि के मांग पत्र जारी कर रहे है।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि नगर निकाय द्वारा मोबाईल टॉवर की स्वीकृति जारी करने के समय विभाग के प्रभावशील आदेश के अनुसार पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क वसूल किया जावे।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव